में निम्नलिखित परिमाण में गुवार-गम तैयार हुआ :—

१९६०	७,६०० टन
१९६१ (जनवरी-जुलाई)	४,८०० टन

(ख) तैयार किया गया अधिकांश गुवार-गम निर्यात कर दिया जाता है। भारत में बहुत कम परिमाण में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके आंकड़े नहीं रखे जाते। इसके अतिरिक्त देश के व्यापारिक वर्गीकरण में गुवार-गम अलग से नहीं दिखाया जाता है। इस लिये इसके आयात / निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९६० और १९६१ (जनवरी–१५ जुलाई) में निम्नलिखित परिमाण में गुवार-गम जहाज द्वारा बाहर भेजा गया, जिसमें लघु क्षेत्र द्वारा किया गया निर्यात भी शामिल है :—

अवधि	परिमाण	लगभग मूल्य
	टन	रु०
वर्ष १९६०	१२,६९४	१ (एक) करोड़
जनवरी–१५ जुलाई, १९६१	५,६२५	४६ लाख

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान गम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (मेसर्स हिन्दुस्तान गुवार-गम लिमिटेड नहीं) को भिवानी में गुवार-गम बनाने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। इस कारखाने की गुवार-गम तैयार करने की स्थापित क्षमता ९,६०० टन होगी। उक्त फर्म को गुवार-गम बनाने के लिये सामान्य सुविधायें दे दी गयी हैं जैसे (क) विदेशी फर्म के सहयोग से गुवार-गम बनाना, (ख) विदेशों से मशीनें प्राप्त करना, आदि

(घ) और (ङ) गोसम्वर्धन की केन्द्रीय परिषद् ने इस प्रकार की सिफारिश की है, जो विचाराधीन है।

Symposium on Housing Co-operatives

2691. Shri P. C. Borooah: Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether a symposium on Housing Cooperatives was held under the auspices of his Ministry in September, 1961;

(b) if so, what were their main recommendations; and

(c) what action has so far been taken to implement these recommendations in so far as the cooperative house building movement in Delhi is concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao): (a) Yes.

(b) and (c). In accordance with the normal practice, the Symposium provided a forum for the exchange of ideas and experiences on various aspects of Cooperative Housing. The record of deliberations of the Symposium is circulated to the State Governments and Union Territories for information and suitable action.

Sets of the papers relating to the Symposium are available in the Parliament Library.

लघु उद्योग के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान दल

२६९२. **श्री बेरवा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउंडेशन का जो प्रतिनिधि-मंडल भारत में लघु उद्योगों के विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये भारत आया हुआ है वह अब तक कौन-कौन से स्थानों का दौरा कर चुका है ;

(ख) क्या यह भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उसका

प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, बम्बई, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, जोधपुर, फालना, कोटा, इन्दौर, कलकत्ता, गौहाटी, शिलांग, भुवनेश्वर, कटक और चण्डीगढ़ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १९६३ के आरम्भ में ।

Hostile Nagas

2693. Shrimati Savitri Nigam: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of Naga Rebels captured during the last three months; and

(b) the number of arms surrendered by them?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): (a) 254 hostile-Nagas were arrested during the period February 1962 to April, 1962.

(b) 120.

Hostile Nagas

2694. Shri Raghunath Singh: Shri D. C. Sharma: Shri Bhakt Darshan:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three Naga hostiles were killed in an encounter with security forces in Kulingmen village in Mokokchung district; and

(b) if so, the details thereof?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): (a) and (b). On 4th of May, 1962, a hostile hide-out in Kulingmen, 15 miles North East of Mokokchung, was captured by the Security forces. Two hostiles were killed during the encounter and 7 arms and 105 rounds of ammunition recovered.

बर्तनों का लघु उद्योग

२६९५. **श्री कछवाय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्तन लघु उद्योग के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी धनराशि रखी गयी है ;

(ख) इस लघु उद्योग को वर्तमान समय में सरकार की ओर से कौन-कौन सी सहायता दी जाती है ;

(ग) बर्तन बनाने के लिये धातु का कोटा हर राज्य को कितना दिया जाता है ; और

(घ) कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) उद्योग-वार कोई धन-राशि नहीं रखी गयी है ।

(ख) यह उद्योग भी अन्य उद्योगों की भांती राज्य सरकार से ऋण, टेक्निकल तथा दूसरी सहायता पाने का अधिकारी है ।

(ग) और (घ) बर्तन बनाने वालों के लिये कोई अलग कोटा नहीं है । बर्तन बनाने तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनों के लिये राज्य सरकारों को इकट्ठा कोटा दे दिया जाता है, इसका आधार सामान्यतः उनके द्वारा पहले इस्तेमाल की गयी धातु का परिमाण होता है । अलग-अलग कारखानों को यह धातु राज्य सरकारों द्वारा बांटी जाती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

२६९६. **श्री कछवाय : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :